अधिकारी

[illegible]लय उपखण्ड .... कठूमर (अलवर) राज.

[illegible] 2/184/2020 .... तारीख रजू ....

कैलाश .... बनाम प्रभूदयाल वगैरा

[illegible] क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 45, वाके ग्राम मोतीका नगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात कब्जे काश्त मे रूकावट/मजाहमत पैदा न करे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 12.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12/11/20	[illegible] [illegible] उ०/P.O. [illegible] (Covid-19) [illegible] पत्रावली दिनांक 14-1-21 को पेश हो। [signature]	
14/1/21	पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible], ने कार्य [illegible] [illegible] [illegible] P.O. [illegible] Meeting Alwar । पत्रावली दिनांक 25/2/21 को पेश हो [signature]	

ष उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू ....

.... बनाम ....

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21/9/22	मुताबिक संशोधन RO/P.O. बाबत [illegible] कार्यवाही दिनांक 10/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/10/22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। साधिक आदेश दिनांक .... 21-9-22 की पालना में पत्रा वी वास्ते ...[illegible]... दिनांक ...... 20/12/22 ...... को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/12/22	मुताबिक संशोधन RO/P.O. बाबत [illegible] कार्यवाही दिनांक 16/1/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/1/23	वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं किया गया। है [illegible] प्रार्थी को पूर्व में कई बार मौके प्रदान किये जा चुके हैं अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र [illegible] वकील प्रार्थी के तलबी हेतु तलबाना के [illegible] पेश नहीं करने पर Default में खारिज किया जाता है। पत्रावली नैयार शुदा होकर अर्सा बाद के दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	